तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रकरण का निस्तारण निम्न प्रकार है– **प्रार्थना पत्र सं– 78/2015 बउनवान कमलाबाई वगै0 बनाम गजेन्द्र वगै0** **दायरा दिनांक– 27.07.2015** **निर्णय** संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत जमांबदी सम्वत् 2067 से 2070 वाके ग्राम चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की खाता संख्या 123 ख.सं 58 रकबा 1.03है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं 1 ता 5 के नाम अंकित चली आ रही है। उक्त वाद विषयक भूमि पर प्रार्थिगण का कब्जा काश्त 60–70वर्षों से प्रार्थिगण के पिता भौलाराम पुत्र देवलाल के पिता पिरूलाल के समय से लम्बे अर्से से चला आ रहा है। प्रार्थिगण के पिता भोलाराम के समय उक्त कृभि भूमि पर कुवा खुदवाया था। प्रार्थिगण के पिता की मृत्यु दिनांक 14.06.2011 को हो गई प्रार्थिगण उनके वैध उत्तराधिकारी है। प्रार्थिगण के पिता ने उक्त कृषिभूमि 40–50वर्षों पूर्व झाड, ढूण्ठे, बम्बूल निकालकर कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाया है व तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने उक्त भूमि पर कब्जाधारी मानकर पेनल्टी/जुर्माना प्राप्त किया था एवं आस पास प्रार्थिगण के पिता भोलाराम के भाई के शामालाती खातेदारी भूमिया स्थित है जिस पर प्रार्थिगण के पिता और उनके भाई सह खातेदार कृषि कार्य करते चला आ रहे है। अतः 12वर्षो से अधिक का कब्जा काश्त वादीगण का होने से अब वादीगण एडवर्ष पजेशन/मुखालफाना कब्जा के सिद्धांत के आधार पर प्रार्थिगण तन्हा खातेदार कृषक बन चुका है एवं वाद विषयक कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं 1 ता 5 का अब कोई हक एवं अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं 1 ता 5 के पिता का आवंटन के बाद से आज तक 50वर्षों से कब्जा काश्त नहीं रहने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किए जाने से धारा 63 आर0टी0एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थिगण के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है। प्रार्थिगण महज राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थिगण के नाम का इन्द्राज विलोपित करवाकर तन्हा खातेदार कृषक की हैसियत से कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद वर्णित कृषि भूमि पर घोषणा करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थिगण 1 लगायत 5 वाद वर्णित कृषि भूमियों अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने का फायदा उठाकर भूमियों को रहन,बय,दान करके हस्तानांनतरित करने पर आमादा है तथा प्रार्थिगण से लडाई झगडा कर कब्जे काश्त की भूमियों से बेदखल करना चाहते है यही वाद कारण है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण 1 ता 5 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थिगण सं 1 लगायत 5 ने जवाब पेश कर कथन किया कि अप्रार्थिगण उक्त वाद विषयक कृषिभूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थिगण ने वादीगस्त कृषि भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी करवाया है एवं उसका शुल्का अदा किया है। राजस्व अधिकारियों द्वारा कब्जे बाबत संतुष्ट होने के बाद ही कृषिभूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज किया गया है। अप्रार्थिग्ण उक्त उनवान के वादपत्र के जवाबदावा के साथ प्रार्थिगण के विरूद्ध बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का काउन्टर क्लेम पेश कर रहे है। प्रार्थिगण को अप्रार्थिगण की	

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खातदारी एवं पुश्तैनी स्वामित्व की कृषि भूमि में दखलादाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थिगण अतिक्रमी है एवं उनको वाद विषक कृषि भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करने का विधिक प्रावधान नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थिगण 1 लगायत 5 न्यायालय पेशी दिनांक 14.06.2024 को अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में नियत की गई।
	प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिगण की एकपक्षीय बहस सुनी। दोराने बहस प्रार्थिगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि उक्त वाद विषयक भूमि पर प्रार्थिगण का कब्जा काश्त 60—70वर्षों से प्रार्थिगण के पिता भौलाराम पुत्र देवलाल के पिता पिरूलाल के समय से लम्बे अर्से से चला आ रहा है। प्रार्थिगण के पिता भोलाराम के समय उक्त कृभि भूमि पर कुवा खुदवाया था। प्रार्थिगण के पिता की मृत्यु दिनांक 14.06.2011 को हो गई प्रार्थिगण उनके वैध उत्तराधिकारी है। प्रार्थिगण के पिता ने उक्त कृषिभूमि 40—50वर्षों पूर्व झाड, ठूण्ठे, बम्बूल निकालकर कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाया है व तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने उक्त भूमि पर कब्जाधारी मानकर पेनल्टी/जुर्माना प्राप्त किया था। अतः वाद विषयक कृषि भूमि पर प्रार्थिगण का कब्जा विगत 50 वर्षों से होने से प्रार्थिगण का प्रार्थना पक्ष स्वीकार कर अप्रार्थिगण 1 लगायत 5 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंदी करने का निवेदन किया। बहस समाहत पत्रावली की गई।
	हमने प्रार्थिगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद विषयक कृषिभूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थिगण 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है किन्तु प्राथमिक दृष्टया कब्जा प्रार्थिगण का होना प्रतीत होता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष होना प्रतीत होती है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिगण 1 लगायत 5 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद निस्तारण तक वाद विषयक कृषि भूमि का रहन,बैचान न करें न स्वयं न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले नयायालय में सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)